इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 289] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 जून 2011—ज्येष्ठ 20, शक 1933

कार्यालय, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश
मध्यप्रदेश निर्वाचन सदन,
17, अरेरा हिल्स, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 जून 2011

फा. क्र. 84 (2)-2011-चार-111.—भारत निर्वाचन आयोग के आदेश क्रमांक 576-3-EVM-2011-SDR (LA) दिनांक 3 जून, 2011 का प्रकाशन सर्वसाधारण की जानकारी के लिये किया जाता है.

प्रेम चन्द मीना, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110 001

नई दिल्ली, तारीख 3 जून, 2011

निदेश

संख्या 576-3-ई.वी.एम.-2011-एस.डी.आर. (वि.स.).—यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 61 क में यह उपबंधित है कि मतदान मशीनों द्वारा मत ऐसी रीति से डाले और रिकार्ड किए जाएंगे जैसा कि निर्वाचन आयोग ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के लिये प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट करे तथा

2. यत: आयोग ने मध्यप्रदेश में 56-जबेरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और बिहार में 62-पूर्णियाँ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की परिस्थितियों पर विचार किया है, और वह संतुष्ट है कि उपर्युक्त वर्णित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के लिये पर्याप्त संख्या में इलैक्ट्रानिक वोटिंग मशीनें उपलब्ध है, तथा मतदान कर्मचारी इलैक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों के दक्षतापूर्वक संचालन करने के लिये प्रशिक्षित हैं तथा निर्वाचक भी इलैक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों की कार्यप्रणाली से पूर्णतया परिचित हैं;

3. अतः, अब, भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा मध्यप्रदेश में 56-जबेरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और बिहार में 62-पूर्णियॉं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के विषय में 1 जून, 2011 को अधिसूचित किए गए उक्त राज्यों की विधान सभाओं के लिये चालू उप निर्वाचन में, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के अधीन मत निर्धारित रीति से इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों के माध्यम से डाले और रिकार्ड किए जाएंगे जैसा कि इस विषय पर आयोग द्वारा समय-समय पर अनुपूरक अनुदेश जारी किए जाते हैं.

आदेश से,
हस्ता./-
(के. एफ. विल्फ्रेड)
प्रमुख सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI—110 001

New Delhi, Dated 3rd June, 2011

DIRECTION

No. 576-3-EVM-2011-SDR (LA).—WHEREAS, Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, provides that the giving and recording of votes by Voting Machines in such manner as may be prescribed, may be adopted in such constituencies as the Eelction Commission of India may, having regard to the circumstances of each case specify; and

2. WHEREAS, the Commission has considered the circumstances in 56–Jabera Assembly Constituency in Madhya Pradesh and 62—Purnia Assembly Constituency in Bihar, and is satisfied that sufficient number of Electronic Voting Machines are available for taking the poll in the abovementioned Assembly constituencies, the polling personnel are well trained in efficient handling of the Electronic Voting Machines and the electors are also fully conversant with the operation of the Electronic Voting Machines;

3. NOW, THEREFORE, the Election Commission of India hereby specifies 56–Jabera Assembly Constituency in Madhya Pradesh and 62—Purnia Assembly Constituency in Bihar, as the constituencies in which the votes at the current bye-elections to the Legislative Assemblies of the said States notified on 1st June, 2011, shall be given and recorded by means of Electronic Voting Machines in the manner prescribed under the Conduct of Elections Rules, 1961, and the supplementary instructions issued by the Commission from time to time on the subject.

By order,
Sd./-
(K. F. WILFRED)
Principal Secretary.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.